हुए, जिनमें स्थानीय लोगों ने आक्रांताओं से लोहा लिया। यह जरूरी है कि स्वाधीनता के लिए इन संघर्षों को देश के इतिहास में समुचित स्थान मिले। यह हमारे न केवल पाठ्यक्रम का भाग बने, बल्कि स्थानीय मातृभाषा में बच्चों और युवाओं को उससे परिचित कराया जाए। ...(**समय की घंटी**)... तभी हमें अपने इतिहास को

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour Mention made by hon. Member, Shri Naresh Bansal: Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh) and Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand).

माननीय डा. दिनेश शर्मा, 'Need for Gender-Neutral Laws against Domestic violence in India.'

Need for a Gender-Neutral Law against domestic violence in India

डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय - पुरुषों और महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा में समानता पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो हमारे संविधान द्वारा दिए गए समानता के वादे के मूल में है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए संतुलित कानूनी सुरक्षा की जरूरत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में आत्महत्या करने वालों में 72 प्रतिशत पुरुष थे, जिनमें 1,25,000 से अधिक पुरुषों ने अपनी जान दे दी, जबकि महिलाओं की संख्या लगभग 47,000 थी। वर्ष 2014 से 2021 के बीच पुरुषों और महिलाओं की आत्महत्या के अनुपात में काफी वृद्धि हुई है। इस दौरान 107.5 प्रतिशत अधिक पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं को आत्महत्या का कारण बताया। हमारे कानूनों ने महिलाओं को घरेलू हिंसा और शोषण से बचाने में बड़ी प्रगति की है, लेकिन ऐसे पुरुषों के लिए भी सुरक्षा का अभाव चिंता का विषय है, जो इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हाल में ही बिहार के निवासी, अतुल सुभाष के मामले ने इस समस्या को उजागर किया है। अतुल सुभाष बेंगलुरु में काम करते थे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि उन्हें उनकी पत्नी द्वारा उत्पीड़न के झूठे आरोप में फँसाया गया, जिससे दुखद रूप में उन्होंने अपनी जान दे दी। यह घटना इस बात पर रोशनी डालती है कि झूठे आरोपों का सामना करने वाले पुरुषों के लिए पर्याप्त कानूनी और भावात्मक समर्थन नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 जैसे प्रावधानों के दुरुपयोग की समस्या भी बड़ी चिंता का विषय है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से जुड़े कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। अगर सिस्टम की कमी के कारण एक भी व्यक्ति अपनी जान दे देता है, तो यह हमारे लिए आत्ममंथन का समय है। इसलिए

झूठे आरोप लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि न्याय प्रणाली की निष्पक्षता और सच्चाई को बनाए रखा जा सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Dinesh Sharma: Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand) and Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar). Shri Neeraj Dangi — not present. Shrimati Sangeeta Yadav.

Need to take more steps for empowerment of rural India by transforming villages into vibrant centres of growth and opportunity

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे ज़ीरो ऑवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूँ। माननीय उपसभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से प्रधान मंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी को ग्रामीण भारत महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। ग्रामीण भारत महोत्सव को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह पहल ग्रामीण भारत की समृद्धि को बढ़ावा दे रहा है; साथ ही, 2047 तक विकसित भारत का जो सपना माननीय प्रधान मंत्री जी और हम सभी लोग देख रहे हैं, उसमें भी यह अपनी एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मोदी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। माननीय उपसभापति जी, इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पर व्यय आजकल 50 परसेंट से भी कम हो गया है और अब ग्रामीण परिवार अन्य आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर खर्च कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार हो रहा है।

माननीय उपसभापति जी, जब मैं ज़ीरो ऑवर का विषय लगा रही थी, उस समय मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरी एक डिमांड पूरी हो गई। मैं माननीया वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करूँगी कि मुद्रा बैंकिंग की सीमा को बढ़ाने के लिए मुझे जो डिमांड रखनी थी, वह बढ़ा दी गई है। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया वित्त मंत्री जी के समक्ष दो और छोटे-छोटे निवेदन रखना चाहती हूँ। एक तो ग्रामीण क्षेत्र की यह जो पहल चल रही है, इसमें छोटे किसान और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही, मेरी दूसरी डिमांड यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हमें और सशक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।